उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक
विकास प्राधिकरण

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
A-1/4, लखनपुर
कानपुर - 208024
दूरभाष : 0512-2582851-53
वेबसाइट: www.upsidc.com
CIN-U26961SGC002834

सैद्धांतिक अनुमोदन

क्षेत्रीय प्रबन्धक
उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0,
गाजियाबाद

संदर्भ संख्या /यूपीसीडा/एटीपी दिनांकः

विषयः औ0क्षे0 मसूरी गुलावटी रोड हापुड के औद्योगिक भूखण्ड संख्या एफ–404, एफ–405 एवं एफ–406 के संविलियन स्वीकृति के सम्बधं में।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या 8175 दिनांक 15.10.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी मापों के आधार पर औ0क्षे0 मसूरी गुलावटी रोड हापुड के औद्योगिक भूखण्ड संख्या एफ–404 (क्षेत्रफल 742.50 वर्गमी0), एफ–405 (क्षेत्रफल 742.50 वर्गमी0), एवं एफ–406 (क्षेत्रफल 742.50 वर्गमी0), को एकीकृत कर भूखण्ड संख्या एफ–404/406 (क्षेत्रफल–2227.50 वर्गमी0) नामित कर, कार्यालय आदेश सं0 1300–1307/सीडा/एटीपी/ का0आ0 दिनांक 15.01.2021 के कम में निर्धारित सक्षम स्तर द्वारा संविलियन प्रस्ताव पर निम्न शर्तो के साथ सैद्धातिक अनुमोदन प्रदान किया जाता हैः–

1. नव सृजित भूखण्ड का भू–उपयोग यथावत् औद्योगिक रहेगा।
2. नव सृजित भूखण्ड के सेटबैक, भू–आच्छादन एवं एफ0ए0आर0 यूपीसीडा के भूमि विकास एवं भवन विनियमन, 2018 के अनुसार प्रभावी होंगे।
3. यूपीसीडा के भूमि विकास एवं भवन विनियमन, 2018 के अनुच्छेद 3.3.7 B(iv) के अनुसार संविलियत भूखण्ड की रेक्टिफिकेशन डीड कराया जाना आवश्यक होगा।
4. भूमि विकास एवं भवन विनियमन, 2018 के अध्याय–13 अनुच्छेद 13.6 के अनुसार शमनीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी होगी। सेटबैक में स्थित निर्माण (शमन योग्य छोड़कर) को आवंटी द्वारा स्वयं के व्यय से एक माह के भीतर ध्वस्त किया जाना होगा । साथ ही ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में निर्मित भवन की सुरक्षा एवं स्थयित्व का उत्तरदायित्व आवंटी का होगा। शर्त का अनुपालन न होने की दशा में स्वीकृत संविलियन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
5. संविलियन मानचित्र में दर्शाये गये स्थित निर्मित निर्माण की स्वीकृति प्रदान नही की गयी है। संविलियन स्वीकृति के उपरान्त आवंटी कम्पनी द्वारा संविलियन भूखण्ड का भवन मानचित्र नियमानुसार स्वीकृत कराना होगा ।
6. यूपीसीडा के योजना बनाने एवं अन्तिमीकरण विनियमन 2004 के अनुच्छेद 3.3.8 के कम में प्रकाशित किये जाने वाली विज्ञप्ति का प्रारूप सम्मुख संलग्न है। क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र में एक अग्रेजी एव एक हिन्दी समाचार पत्र जो widely circulated हो में प्रकाशित कराया जाना होगा। क्षेत्रीय प्रवन्धक द्वारा विज्ञप्ति प्रारूप में निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों को संकलित करते हुये एवं प्रकाशित विज्ञप्ति के समाचार पत्रों की दो-दो प्रतियां एटीपी अनुभाग मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी। विज्ञप्ति क्षेत्रीय कार्यालय हेतु उपलब्ध विज्ञापन मद के सापेक्ष प्रकाशित करायी जायेगी। जनापत्ति प्रकाशित करने पर यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो प्राधिकरण द्वारा उसके नियमानुसार निराकरण कर लिये गये निर्णय आवंटी को मान्य होंगें।
7. क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संविलियन स्वीकृत पत्र निर्गत करने से पूर्व समस्त देयों/शुल्कों का भुगतान आवंटी से प्राप्त कर लिंया गया है और यदि भविष्य मे कोई देय/शुल्क आदि रोपित किये जाते है तो वह आवंटी को मान्य होगे।

औ0क्षे0 मसूरी गुलावटी रोड हापुड के औद्योगिक भूखण्ड संख्या एफ–404, एफ–405 एवं एफ–406 के सैद्धांतिक अनुमोदित संविलियन मानचित्र एवं विज्ञप्ति प्रारूप की प्रति संलग्न कर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः यथोक्त।

(मीना भार्गव)
महाप्रबन्धक(वा0/नियो0)
दिनांकः 03-11-2022

पृष्ठांकित संख्या 1111 /सीडा/एटीपी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 सहायक महाप्रबन्धक (प्र0/सा0), उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, औ0क्षे0 अनुभाग, मुख्यालय, कानपुर।
2 प्रभारी (कम्प्यूटर), मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित होने के उपरान्त संलग्न मानचित्र एवं विज्ञप्ति को वेबसाइट पर 15 दिन तक अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
3 वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल), नि0ख0–1 उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, गाजियाबाद
4 निजी सचिव (मु0का0अ0/अ0मु0का0अ0, महोदया, (ए) उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, मुख्यालय, कानपुर।

3/11/2022
(मीना भार्गव)
महाप्रबन्धक(वा0/नियो0)

U.P. STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY

UPSIDA Complex
A-1/4, Lakhanpur,
Kanpur-208024
Tel. : 0512-582851-53
Fax : 0512-2580797
Website: www.upsidc.com
CIN-U26961SG002834

Reference No. /UPSIDA/ Dated:

Notice for Public Objection / Suggestion on Part Layout Plan of Industrial Area M. G. Road Distt. Hapur by which Industrial Plot No. F-404, F-405 & F-406 has been amalgamated and created a new Plot No. F-404/406 (Measuring – 2227-50 Sq.m.).

1 (a) The Part Layout Plan of **Industrial Area M. G. Road Plot No. . F-404/406** of Uttar Pradesh State Industrial Development Authority (UPSIDA) situated in District **Hapur** has been prepared.

(b) A copy thereof will be available for inspection at the Regional Manager of the Uttar Pradesh State Industrial Development Authority, C-2, 4th Floor Mahaluxmi mall RDC, Raj Nagar **Ghaziabad** between 10:00 am to 5:00 pm on all working days till the date mentioned in Para 3 hereafter as well as **Website: www.onlineupsidc.com**

2 Objections and Suggestions are hereby invited with respect of the Draft Layout/Amalgamation Plan.

3 Objections and Suggestions are shall be sent in writing to the office of Regional Manager, UPSIDA at C-2, 4th Floor Mahaluxmi mall RDC, Raj Nagar Ghaziabad within 15 days from the date of publication of this notice mentioning subject as **"Regarding Public Objection / Suggestion on Draft Layout / Amalgamation Plan for Industrial Area M. G. Road Distt. Hapur** Any person making the Objections or Suggestions should also give his/her full name & address, Email id and contact number.

(Regional Manager)
U.P. State Industrial Development Authority

DRAFT PLAN FOR PUBLIC OBJECTIONS/ SUGGESTIONS

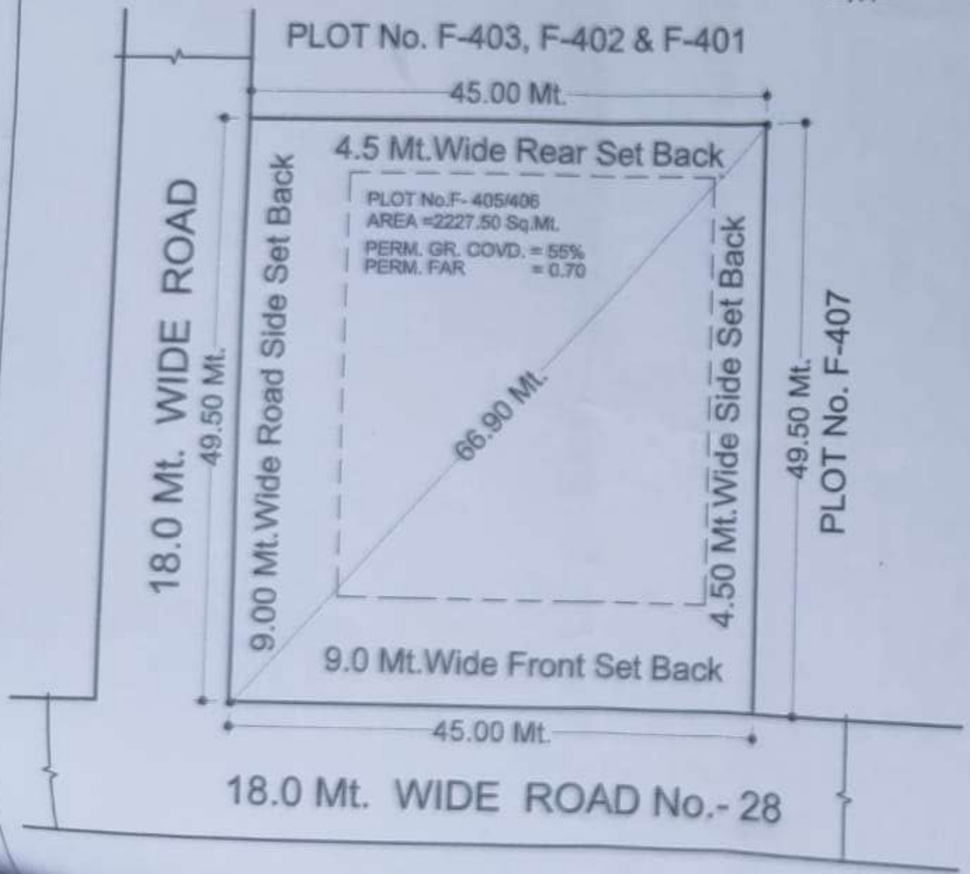

AMALGAMATION PLAN
(SCALE: NOT TO SCALE)

Sl. No.	TYPE	SIZE IN Mt.	AREA IN Sq.Mt.	Nos.
1.	F-404	15.0 X 49.50	742.50	1
2.	F-405	15.0 X 49.50	742.50	1
3.	F-406	15.0 X 49.50	742.50	1
		TOTAL	2227.500	3

STATEMENT OF PLOTS (AFTER AMALGAMATION)

Sl.No.	TYPE	SIZE IN Mt.	AREA IN Sq.Mt.	Nos.
1.	F-404/406	45.0 X 49.50	2227.50	1

NOTE:-

1. AMALGAMATION PLAN OF INDUSTRIAL PLOT No.F-404,F-405, & F-406 ARE REDESIGNATED AS PLOT No.F-404/406 (AREA-2227.50 Sq.Mt)
2. THE AMALGAMATION PLAN OF INDUSTRIAL PLOT No.F-404,F-405 & F-406 HAS BEEN PREPARED AS PER RECOMMENDED OF R.M. GHAZIABAD WIDE LETTER No. 6657 Dt.17-09-2022,LETTER No.5228 Dt.11.08.2022 .LETTER No. 5981 Dt.03-09-2022
3. IN PRINCIPLE APPROVAL OF AMALGAMATION HAS BEEN GIVEN FOR INVITING PUBLIC OBJECTION OR SUGGESTIONS AS PER AS PER UPSIDA PREARATION AND FINALIZATION OF PLANS REGULATIONS 2004 CLAUSE NO. 3.3.8 ANY OBJECTION OR SUGGESTIONS RECEIVED WILL BE DISPOSED OF ON MERIT AND ACCORDINGLY PROPOSED AMALGAMATION WILL BE FINALIZED.
4. APPROVAL OF AMALGAMATION OF PLOT NO. F-404/406 INDUSTRIAL AREA M.G. ROAD HAPUR DOES NOT SANCTION THE MAP SANCTION THE EXISTING STRUCTURE ON THE PLOTS ALLOTTEE HAS TO GET MAP SANCTION APPROVAL OF THE EXISTING BUILDING ON AMALGAMATED PLOT.
5. PLOTS FOR AMAGAMATION SHOWN AS
6. SET BACK GROUND COVERAGE, F.A.R. AND OTHER REGULATION SHALL BE FOLLOWED AS PER UPSIDA BYE LAWS BY APPLICANT.
7. AS PER OFFICE ORDER No. 1307 Dt.15-012021, THE APPROVAL OF AMALAGAMATION PLAN OF PLOT AREA UP TO 2000.00 Sq.Mt. IS DELEGATED TO I/C (ATP),Sr.Manager (P) & Dy G.M. (A/P) BY C.E.O.UPSIDA.

ARCHITECTURAL CELL

UPSIDA

UPSIDC COMPLEX
A 1/4 LAKHANPUR KANPUR.

JOB TITLE :- PROPOSED AMALGAMATION PLAN OF INDUSTRIAL PLOT no. F-404 , F-405 & F-406 AT INDUSTRIAL AREA MASOORI GULAWATI ROAD DISTT. HAPUR (UP)	ARUN KUMAR D/MAN
	SURESH KUMAR Astt.Manager (Arch./Planning)
DRG. TITLE :- AMALGAMATION PLAN	VAIBHAV GUPTA Sr.Manager (Arch./Planning)
REVISION NO :-	MEENA BHARGAVA GEN.Manager (Arch./Plang.)
N SCALE :- NTS DRG. NO. :-	DATE :- NOV. 2022